न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर),जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम: राजेश कुमार नायक,आर.ए.एस.
वाद पत्रसंख्या: 246/2018 (297/2013)
निर्णय दिनांक:14.06.2022

1. रामसहाय उर्फ रमेशचन्द पुत्र सुखाराम, जाति मीणा, निवासी ग्राम श्रीराम की नांगल, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. फेलीराम पुत्र श्री काना
2. लाला पुत्र मंगला (फौत)
2/1. श्रीमति हीरा देवी पत्नी श्री लाला
2/2. रमेश पुत्र लाला
3. कैलाश पुत्र कालू
4. जिन्सी पुत्र कालू नाबालिग संरक्षक भ्राता कैलाश पुत्र कालू
5. छीतर पुत्र छोटू
6. नरसी पुत्र छोटू
7. सीताराम पुत्र छोटू
8. भगवानसहाय पुत्र छोटू
9. सूर्य नारायण पुत्र शंकर नाबालिग संरक्षक माता दुर्गा देवी पत्नी शंकर
10. श्रवण पुत्र लक्ष्मीनारायण
11. मोहन लाल पुत्र लक्ष्मीनारायण
12. मंगली पत्नी लक्ष्मीनारायण (मृतक)
13. ग्यारसा पुत्र भौरीलाल उर्फ भौरया(फौत)
/1. रामप्यारी पत्नी ग्यारसा
/2. गोपाल पुत्र ग्यारसा
/3. रामकिशोर पुत्र ग्यारसा
14. मेंदाराम पुत्र भौरीलाल उर्फ भौरया
15. श्रीमति बरजी बेवा नारायण
16. नंदा पुत्र नारायण
17. मोती पुत्र नारायण

समस्त जाति मीणा, निवासीगण ग्राम श्योसिंहपुरा उर्फ कल्ल[illegible] तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

छोटी देवी पत्नी श्री मांगीलाल
हनुमान पुत्र मांगीलाल
मोतीलाल पुत्र मांगीलाल
बदरीनारायण पुत्र मांगीलाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.08.12 11:09:56 IST
Reason: SelfAttested

उप-खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

2022, 18:43

समस्त जाति मीणा, निवासीगण ग्राम बाढ़ श्योपुर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

22. बिरदा पुत्र मंगला(फौत)

22/1. राजू देवी पत्नी शंकर

22/2. सन्नी पुत्र शंकर

22/3. गोलू पुत्र शंकर

23. श्रवण पुत्र मंगला

24. नेहनू पुत्र मंगला(फौत)

24/1. श्रीमति मन्नी देवी पत्नी नेहनू

24/2. हनुमान पुत्र नेहनू

24/3. लक्ष्मीनारायण पुत्र नेहनू

24/4. हरिनारायण पुत्र नेहनू

24/5. कालू पुत्र नेहनू

25. मेंदा पुत्र पांचू

26. बालू पुत्र पांचू

27. मोहरी देवी पत्नी ग्यारसा(फौत)

28. महादेव पुत्र ग्यारसा(फौत)

8/1. सीताराम पुत्र महादेव

8/2. लालाराम पुत्र महादेव

29. चौथू पुत्र ग्यारसा(फौत)

9/1. भंवर पुत्र चौथू

9/2. गोविन्दराम पुत्र चौथू

9/3. रामकिशोर पुत्र चौथू

/4. छोटू पुत्र चौथू

9/5. बिरदी देवी पत्नी चौथू

30. चन्दा पुत्र ग्यारसा

31. गणेश पुत्र ग्यारसा(फौत)

/1. बुली देवी पत्नी गणेश

/2. जगदीश पुत्र गणेश

/3. कैलाश पुत्र गणेश

/4. रामजी पुत्र गणेश

/5. बाबू पुत्र गणेश

/6. कमलेश पुत्र गणेश

/7. मुकेश पुत्र गणेश

2. नन्दराम पुत्र ग्यारसा

3. रामप्यारी पुत्री ग्यारसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.08.12 11:09:56 IST
Reason: SelfAttested

उप-खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

समस्त जाति मीणा, निवासीगण ग्राम श्योसिंहपुरा उर्फ कल्लावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

34. रामफूल पुत्र लाला

35. रामस्वरूप पुत्र लाला(फौत)

35/1. नारायणी देवी पत्नी रामस्वरूप

35/2. मदन पुत्र रामस्वरूप

35/3. मुकेश पुत्र रामस्वरूप

36. शंकर पुत्र नानगराम

37. रामावतार पुत्र नानगराम

38. गुलाब देवी पत्नी नानगराम

समस्त जाति मीणा, निवासीगण ग्राम श्रीराम की नांगल, तलाई वाली ढाणी, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

39. गुलाब पुत्र छोटू

40. रामचन्द्र पुत्र छोटू

41. फेलू देवी पत्नी हनुमान

42. देशराज पुत्र हनुमान नाबालिग जरिये संरक्षिका माता फेलू देवी पत्नी हनुमान

43. भरतराज पुत्र हनुमान नाबालिग जरिये संरक्षिका माता फेलू देवी पत्नी हनुमान

44. रामफूलपुत्र हनुमान नाबालिग जरिये संरक्षिका माता फेलू देवी पत्नी हनुमान

45. लक्ष्मी पुत्री हनुमान नाबालिग जरिये संरक्षिका माता फेलू देवी पत्नी हनुमान

46. सुवालाल पुत्र कल्याण

47. लादूराम पुत्र कल्याण

48. रामनाथ पुत्र महादेव

49. बोदूराम पुत्र महादेव(फौत)

/1. गुलाब पत्नी महादेव

/2. राकेश पुत्र महादेव

/3. कृष्ण पुत्र बोदूराम

50. रामपाल पुत्र महादेव

51. भींवाराम पुत्र महादेव

52. जगदीश पुत्र महादेव

53. गोविन्दराम पुत्र महादेव

54. प्रताप पुत्र बिरदा

समस्त जाति मीणा, निवासीगण ग्राम श्योसिंहपुरा उर्फ कल्लावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

55. महेश कुमार पुत्र श्री सुरज्ञानीराम, जाति मीणा, निवासी रा[illegible]ह की पोस्ट, चिपलाटा, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर।

उप-खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.08.12 11:09:56 IST
Reason: SelfAttested

2022, 18:43

56. प्रेमलता पत्नी सहीराम, जाति मीणा, निवासी ग्राम श्योसिंहपुरा उर्फ कल्लावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

57. गोदी देवी पत्नी सांवताराम, जाति मीणा, निवासी दहला का बास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

58. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

59. उपपंजीयक सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

वाद बाबत् विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 प्रस्तुत हुई। प्रतिवादी संख्या 34 लगायत 38 ने इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि वादी ने उक्त वाद यह कहते हुए प्रस्तुत किया है कि ग्राम श्योसिंहपुरा उर्फ कल्लावाला, पटवार हल्का खेडी गोकुलपुरा, भूअभिलेख निरिक्षक क्षेत्र वाटिका, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर के खाता संख्या नया 7 पुराना 6 के खसरा नम्बर 411 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 412 रकबा 1.17 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 413 रकबा 0.74 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 414 रकबा 0.76 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 482/614 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 483 रकबा 0.55 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 484 रकबा 0.46 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 485 रकबा 0.29 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 486 रकबा 0.13 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 487 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 495 रकबा 0.40 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 504 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 552 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 553 रकबा 0.67 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 556 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 557 रकबा 0.12 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 561 रकबा 0.12 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 562 रकबा 0.14 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 565 रकबा 0.18 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 566 रकबा 0.18 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 577 रकबा 0.14 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 578 रकबा 0.18 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 579 रकबा 0.22 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 598/631 रकबा 0.15 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 599 रकबा 0.12 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 600/630 रकबा 0.12 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 601/629 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 602/628 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 603/627 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 604 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 605 रकबा 0.16 हैक्टेयर, कुल किता 31 रकबा 7.12 हैक्टेयर स्थित है। राजस्व अभिलेख जमाबन्दी संवत् 2066 से 2069 के अन्तर्गत दर्ज इन्द्राज के अनुसरण में उक्त खसरा नम्बरान की भूमि में वादी का 2/23 हिस्सा निहित है। वादी का यह कथन कि उपरोक्त वर्णित भूमि नया खाता संख्या 7 व 8 में वादी का 2/23 हिस्सा होने का कथन पूर्णतः मिथ्या अंकित किया है वादी रामसहाय द्वारा उपरोक्त भूमि में से नया खाता संख्या 7 पुराना खाता संख्या 6 की भूमि जो मनबट से पूर्व में विभाजित है, में से अपने सम्पूर्ण हक हिस्सा 2/23 को जरिये अनुबन्ध पत्र दिनांक 15.03.1990 को श्री गणपति गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड द्वारा उक्त वर्णित भूमि पर बालाजी विहार प्रथम के नाम से आवासीय कॉलोनी विकसित कर आवंटियों को पट्टे आवंटित कर रखे है व आवंटियों द्वारा अपने को आवंटित भूखण्ड पर तामिरात कर उसमें [illegible] आ रहे है इस प्रकार वर्तमान में न तो वादी का विवादित भूमि पर खातेदारी अधिकार है और न ही वादी वादग्रस्त भूमि पर काबिज काश्त है बल्कि उक्त भूमि [illegible] आवासीय कॉलोनी होकर आवास के रूप में चली आ रही है। इस प्रकार वादी की भूमि नया खाता संख्या 7 पुराना खात संख्या 6 में कोई हक हिस्सा शेष नही रहा है। वादी ने बदनियतिपूर्वक न्यायालय को गुमराह करने के आशय से वाद पेश किया है जो सरसरी तौर पर खारिज किये जाने योग्य है तथा वादी न्यायालय श्रीमान के समक्ष क्लीन हैण्ड से नही आया है तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.08.12 11:09:56 IST
Reason: Self Attested

उप-खण्ड अधिकारी
सांगानेर (जिला) जयपुर

तथ्यों को छिपाकर आया है, जिससे न्यायालय श्रीमान से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है। इसलिए वाद पोषनीय नही होने व विधि द्वारा बाधित होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी का वाद खारिज फरमाया जावें। वादी द्वारा इस आशय का जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया कि सिविल प्रक्रिया के प्रावधानों के तहत आदेश 7 नियम 11 के प्रावधानों के तहत दावा उन्ही परिस्थितियों में खारिज किया जाता है जिन्हें प्लेन्ट विधि विरूद्ध हो। उपरोक्त उनवानी प्रकरण में भूमि विभाजन के लिये वाद प्रस्तुत किया है जिसकी जमाबन्दी प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है। जिसमें भूमि कृषि योग्य भूमि है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में यह कही भी अंकित नही किया है कि आदेश 7 नियम 11 के नियम ए से एफ में किस प्रावधानों का उल्लंघन करते हुये वादी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया गया है, ना ही यह अंकित किया है कि ऐसा कौनसा विधिक तत्व है जिसकी अवहेलना करते हुये एवं माननीय न्यायालय को वाद का क्षेत्राधिकार नही होने से बार्ड बाई लॉ है। ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि प्रार्थी ने मात्र प्रकरण में जवाब प्रस्तुत न कर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी वादअधीन भूमि पर अवैध निर्माण करने पर उतारू है। माननीय न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश के कारण वो अपने अवैध मंसूबों के कामयाब नही हो रहा है। इस कारण उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो खारिज किये जाने योग्य है।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। हमने बहस उभयपक्षकारान व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। पत्रावली का अवलोकन से ज्ञात हुआ कि प्रतिवादी संख्या 34 लगायत 38 द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात जिसमें वादग्रस्त भूमि वादी स्वयं ने अपनी सम्पूर्ण भूमि को जरिये अनुबन्ध पत्र श्री गणपति गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड को बैचान किया है, अब वादी का उक्त भूमि में हक व अधिकार निहित नही रहा है, वादग्रस्त आराजी के मूल फोटोग्राफस प्रस्तुत किये गये जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त भूमि पर लगभग हिस्से पर आवासीय मकानात बने हुये है। प्रतिवादी संख्या 34 लगायत 38 ओर से जयपुर विकास प्राधिकरण के 90 बी निर्णय की प्रति प्रस्तुत की है जिससे स्पष्ट होता है उक्त भूमि के खातेदारान द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण के समक्ष अपने अधिकार समर्पित किये जा चुके है और वादग्रस्त भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ से अकृषि में रूपान्तरण किया जा चुका है, उक्त भूमि कृषि योग्य भूमि नही रही है, ऐसी स्थिति में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में वादग्रस्त भूमि कृषि भूमि न होने से इस न्यायालय को वाद सुनने का क्षेत्राधिकार नही है इसलिए प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रतिवादी संख्या 34 लगायत 38 का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार कर वादी का वाद खारिज किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुरूप डिक्री जारी हो।पत्रावली दर्ज नम्बर से कम किया जाकर बादतकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश कुमार नायक)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर-द्वितीय (सांगानेर),
जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.08.12 11:09:56 IST
Reason: SelfAttested